न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
58 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	12.07.2021	15.09.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स देवांशी एन्टरप्राईजेज मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक निवासी चुंगी नाका एरिया दूनी जिला टोंक राज.

.... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 15.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को समय 02:01 पीएम पर मैसर्स देवांशी एन्टरप्राईजेज मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोविन्द साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** 180–180 ग्राम के 38 नग रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री गोविन्द साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री गोविन्द साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 180–180 ग्राम के 12 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 180–180 ग्राम के 12 नग कुल मात्रा 2160 ग्राम **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** को बराबर–बराबर चार भाग प्रत्येक भाग 540 ग्राम को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2834 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2834 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य पदार्थ **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** का नमूना क्रय करते समय श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स देवांशी एन्टरप्राईजेज मीरा सर्किल के पास दूनी जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस पर आवेदक द्वारा श्री गोविन्द साहू पुत्र श्री रामदेव साहू को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु कोई खरीद बिल विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1003 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./510/एक्ट/2021/617 दिनांक 08.04.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 24.09.2021 को श्री बसंतीलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 24.06.2022 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु बहस हेतु अवसर देने के बावजूद भी बहस नहीं की गई। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने प्रस्तुत जवाब तथा पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला विमल केसर युक्त ब्राण्ड (Pan Masala Vimal Saffron Blended Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 80,000/– (अक्षरे अस्सी हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक–राज0